There are four amendments, Amendment (Nos.1 to 3) by Shri Balwinder Singh Bhunder and Amendment (No. 4) by the Minister. Mr. Bhunder, are you moving your amendments?

SHRI BALWINDER SINGH BHUNDER: No, Sir.

Clause 3—Insertion of new Section 6 (Registration of Marriages)

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, I move:

> "That at page 2, lines 16 and 17, the words and figure "the Registration of Births, Marriages and Deaths Act, 1969 or" be **deleted."**

I would just like to say that this Amendment has become necessary because the Amendment relating to the Registration of Births, Marriages and Deaths Act, 1969, has been referred to the Standing Committee, and therefore, it will be inappropriate to have u-this included in the text of the Bill at this stage.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, I wanted to request the Foreign Minister to make the statement that whatever is necessary to make it convenient for Sikhs to get their certification will be done.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): He can do that later if he wants.

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, क्या आप इस बिल को कल लोक सभा में ले जायेंगे?...**(व्यवधान)**...

The Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Hon. Members, we have completed the discussion on the Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010. What remains was the reply by the Minister. Hon. Minister may now reply to the discussion.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI SALMAN KHURSHEED): Sir, I am ready with my reply. I have had extensive consultations with hon. Members. I have discussed with the Leader of the Opposition. Hon. Member, Jaya Bachchanji, who has some very, very serious concerns about family values and...

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): मंत्री जी, आप हिन्दी में बोलिए।

श्री सलमान खुर्शीद: मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे मातृभाषा में बोलना चाहिए और ममता की भाषा में ही बोलना चाहिए।...**(व्यवधान)**...मुझे पंजाबी में बोलने के लिए थोड़ा और समय दीजिए। अभी हिन्दी में बोलने दीजिए।

सर, मैं यह कहना चाह रहा था कि बहुत सदस्यों से मेरी चर्चा हुई और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके विचार इस पर आए हैं, उनसे भी विस्तार से बात हुई है। हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, पहली बार हमारी व्यवस्था में irretrievable breakdown of mariage को हम recognise करने जा रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि इस पर बहुत सारे प्रश्न उठे हैं कि क्या उससे महिलाओं को तो असुविधा नहीं होगी, क्या इसको लेकर परिवार में अव्यवस्था तो पैदा नहीं होगी? इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। मैं यह मानता हूं कि जो हम आपके सामने, हाउस के सामने, अब जो संशोधन लेकर आ रहे हैं, उन पर इस चर्चा के प्रकाश में, मैं समझता हूं कि ये सब लोगों को संतुष्ट कर देगा। क्योंकि अभी भी, कुछ लोगों के मन में कुछ संदेह होंगे, मैं यह मानता हूं कि इसमें कुछ और समय लगेगा। सर, अगर हाऊस चाहे, तो मैं आज ही जबाव आपको प्रस्तुत करता हूं और अगर हाऊस का विचार यह है कि इसको थोड़ा रूक कर आपके सामने लाऊं।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): आप रूककर ले आइए।

श्री सलमान खुर्शीद: मैं आपसे सिर्फ निवेदन यह करूंगा कि हमने प्रयास यह किया है कि जो हम इस समय कदम उठा रहे हैं, उससे किसी को कष्ट न हो। सर, यह फैमिली वेलफेयर का ऐसा क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे अनुभवी लोग, नये-नये विचार लेकर आते रहेंगे और आगे चलकर इस पर और भी जो कार्यवाही करने की आवश्यकता है, समय-समय पर वह कार्यबाही की जा सकती है। लेकिन आज अगर हम ऐसी कोई दीवार खींचकर यह कह देंगे या खाई बनाकर यह कह देंगे कि हमें अपने कानून में और परिवर्तन इस समय नहीं करना है, तो फिर दुनिया की तुलना में हम बहुत पीछे हो जायेंगे। यह परिवर्तन इसलिए अनिवार्य हो गए हैं कि समाज बदल रहा है और बदलते समाज के परिप्रेक्ष्य में हमें अपने कानून में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। लेकिन सूझबूझ से और समझदारी से करें, विशेषत: बच्चों को और उन बच्चों को जिनकी देखभाल में कोई विशेष समस्याएं आती हैं या महिलाओं को कोई कष्ट न हो, इस पर हम पूरी तरह से संवेदनशील रहे हैं। अगर सबका विचार यह है, आज हाउस की सेंस यह है कि इसको आज नहीं लेकर कभी और हम लें, तो मैं अपना जबाव आपके सामने तब प्रस्तुत कर दूंगा।

सरदार सुखदेव सिंह ढ़िडसा (पंजाब): यह तो हमने भी कहा है कि इसमें कुछ कमियां हैं, इसको बाद में लिया जाए।...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह सेंसेटिव मैटर है। तमाम पुरूषों की तरफ से बातें कही गई हैं।, तमाम महिला संगठनों ने अपनी बातें कही हैं और माननीय मंत्री जी के पास तमाम प्रतिवेदना आए भी हैं। मैं कहूंगा कि इस पर एक बार फिर से विचार कर लिया जाए, क्योंकि जीवन का एक रिश्ता ऐसा होता है, जो पवित्र माना जाता है। इसमें अगर कहीं दरार पड़ती है, तो उसका जो भी हल निकले, वह अच्छा निकलना चाहिए। आप थोड़ा-सा रूक जाइए। कोई जल्दी नहीं है, आप इसको अगले सेशन में ले आइए। जो अन्य सुझाव आपके पास आए हैं, आप उन सुझावों को भी देख लीजिए। उसके बाद आप बिल लेकर आएं, तो ज्यादा उचित होगा। इसको पूरा हिन्दुत्व स्वीकार भी करेगा। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री सलमान खुर्शीद: सर, अगर यह पूरे सदन का मत है, तो मैं अवश्य उसको मानूंगा। वैसे कहने को दो extreme views मेरे सामने आए हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि आप इसको छूएं भी नहीं और कुछ लोगो ने कहा है कि आप जो कर रहे हैं, वह बहुत कम है। इसलिए हमारे लिए कही न कहीं बीच का रास्ता निकालना अनिर्वाय था और हमने बीच का ही रास्ता निकाला है। जब मैं जवाब दूंगा तब मैं इन चीजों को हाऊस के सामने विस्तार से रखूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हाऊस के सामने ये सारी बातें आएंगी, हमने जो प्रस्ताव रखें है, सबको तौलने के बाद, हाउस उनको स्बीकार करेगा। इसके लिए जे भी उचित समय हाऊस तय करेगा, मैं तभी अपना जवाब दूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): So, if it is the consensus of the House that this Bill be deferred, it is deferred.

MOTION FOR REFERENCE OF THE BILL TO A SELECT COMMITTEE

The Lokpal and Lokayauktas Bill, 2011

Now, we will take up the Supplementary List of Business *i.e.*, further consideration of the motion moved by Shri V. Narayanasamy *i.e.*, the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011. Mr. Minister, you move the Bill be passed.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, what about the Item No. 4 of today's List of Business? It has to be taken up before the Supplementary List of Business.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONAL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): We will consider after the Lokpal.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): After this, we will take that up.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am grateful to you for considering to take up the Bill. The discussion on this Bill, to provide for establishment of a body of Lokpal for the Union and Lokayukta for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto as passed by Lok Sabha, is continuing.